करतारपुर गलियारा : दस्तखत के लिए जीरो लाइन पर जुटेंगे अधिकारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 अक्तूबर।

करतारपुर साहिब के श्रद्धालुओं से सेवा शुल्क वसूलने की पाकिस्तान की जिद के कारण तनाव की स्थिति बन गई है। समझौते मसविदे पर दस्तखत के दौरान भारत और पाकिस्तान के अधिकारी सीमा पार नहीं करेंगे।

जीरो लाइन पर एक-दूसरे की सीमा में बने रहकर दोनों के देशों के अधिकारी समझौता मसविदे पर दस्तखत करेंगे। सेवा शुल्क मसले पर बढ़े तनाव के कारण समझौता मसविदे पर दस्तखत की तारीख को लेकर भी खबर लिखे जाने तक संशय बना रहा। तैयारी 23 अक्तूबर को दस्तखत की थी, लेकिन खबर लिखे जाने तक विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि यह तारीख आगे खिसकाई जा सकती है। दस्तखत 24 को किए जा सकते हैं।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, भारत सरकार के संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा) सीएल दास की अगुआई में भारतीय अधिकारी मसविदे पर दस्तखत के लिए जीरो लाइन पर पहुंचेंगे, जहां पाकिस्तानी अधिकारी भी होंगे। दोनों देशों के बीच श्रद्धालुओं से सेवा शुल्क वसूली के प्रस्ताव को लेकर खींचतान बढ़ी। पाकिस्तान के अड़े रहने के कारण मंगलवार तक समझौते के मसविदे को लेकर अंतिम सहमति बनने पर संशय के बादल घिरे। अधिकारियों के मुताबिक, भारत अभी भी श्रद्धालुओं से 20 डॉलर (लगभग 1400 रुपए) वसूलने की पाकिस्तान की जिद को लेकर असहमत है।

हरियाणा में 68.47 फीसद रहा मतदान

चंडीगढ़, 22 अक्तूबर (जनसत्ता)।

हरियाणा में रेकार्ड मतदान करवाने को लेकर चुनाव आयोग की योजनाएं पूरी तरह कारगर साबित नहीं हुईं। प्रदेश के लोगों ने इस बार भी वोट डालने के प्रति कोई खास रूझान नहीं दिखाया।

शहरी क्षेत्रों में तो मतदाता घरों से बाहर नहीं निकले। इस बार हरियाणा में रेकार्ड मतदान के लिए चुनाव आयोग ने कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया था लेकिन ऐसा लगता है कि मतदाताओं ने इन्हें खुले हाथों स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप हरियाणा के अस्तित्व में आने के पचास वर्ष में केवल वर्ष 2014 ही ऐसा रहा है जब यहां के लोगों ने 76.54 फीसदी मतदान के साथ रेकार्ड कायम किया था। पिछले रेकार्ड को तोड़ने के लिए चुनाव आयोग द्वारा इस बार राज्य परिवहन की करीब 800 बसों पर वोट डालने के लिए प्रचार किया गया। इसके अलावा बस अड्डों पर भी ऑडियो-वीडियो प्रचार किए गए। चुनाव आयोग द्वारा बकायदा जिला स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। जिसका एकमात्र उद्देश्य वोट फीसद को बढ़ाना था लेकिन आयोग की योजना कामयाब नहीं हो सकी। चुनाव आयोग बताया कि हरियाणा में 68.47 फीसद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय वायुसेना ने सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का अंडमान निकोबार द्वीप समूह के त्राक द्वीप पर एक गतिशील मंच से सफल परीक्षण किया है।

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि 300 किलोमीटर दूर लक्ष्य को बिल्कुल सटीकता से भेदने की वायुसेना की क्षमता को परखने के लिए सोमवार और मंगलवार को यह परीक्षण किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि 'वायुसेना ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के त्राक द्वीप से सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइलें दागीं।' उन्होंने कहा कि मिसाइल ने 300 किलोमीटर दूर एक निर्धारित छद्म लक्ष्य को भेदा। उन्होंने कहा कि दोनों ही मामलों में लक्ष्य को सीधे भेद दिया गया।

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016
कॉर्पोरेट कार्यालय: "सौदामिनी", प्लॉट सं. 2, सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, हरियाणा
वेबसाइट : www.powergridindia.com; सीआईएन : L40101DL1989GOI038121

पावरग्रिड

सूचना

1. 2014–2019 टैरिफ ब्लॉक के ट्रांसमिशन टैरिफ को संतुलित करने और 2019–24 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियम 1999 के विनियमन – 86 और सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) नियम, 2014 और सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम 2019 के तहत अनुमोदन, निम्न के लिए : **संपत्ति 1 हेतु याचिका 1:** उत्तरी क्षेत्र में रिहंद – दादरी एचवीडीसी बाईपोल टर्मिनल के लिए रिहंद (डीओसीओ 01.12.2011) में स्पेयर कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर और **संपत्ति 1 हेतु याचिका 2:** उत्तरी क्षेत्र (डीओसीओ 01.04.2014) में उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड स्टेज – II के लिए विशेष संरक्षण योजना (एसपीएस)

2. उपर्युक्त ट्रांसमिशन प्रणाली के लाभार्थी हैं (1) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (2) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (3) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (4) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (5) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (6) हरियाणा पॉवर परचेज सेंटर (7) विद्युत विकास विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार (8) उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (9) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (10) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (11) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (12) नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड (13) चंडीगढ़ प्रशासन (14) उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (15) उत्तर मध्य रेलवे (16) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (17) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड।

3. टैरिफ विवरण:

क.) 2014–19 ब्लॉक (₹ लाख में)

	परियोजना	टू अप पर संशोधित एएफसी				
		2014-15	2015 - 16	2016 -17	2017 – 18	2018 - 19
याचिका-1	संपत्ति-I	418.65	406.71	394.01	381.37	369.14
याचिका-2	संपत्ति-I	34.36	33.06	32.80	32.05	30.78

ख.) 2019–24 ब्लॉक (₹ लाख में)

	परियोजना	2019–24 ब्लॉक के लिए टैरिफ				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023 - 24
याचिका-1	संपत्ति-I	353.72	341.20	328.66	316.12	303.53
याचिका-2	संपत्ति-I	33.10	32.09	31.10	30.12	29.10

4. टैरिफ के निर्धारण के लिए किए गए आवेदन की एक प्रति आवेदक की वेबसाइट **www.powergridindia.com** पर पोस्ट की गई है।

5. आवेदन में निहित टैरिफ के निर्धारण के प्रस्तावों पर सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हो, तो लाभार्थी सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा, सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, तृतीय और चतुर्थ तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली – 110 001 (या आयोग का कार्यालय जहां स्थित हैं), के समक्ष, आवेदक के कॉर्पोरेट कार्यालय पर एक प्रति के साथ इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है।

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 17.10.2019

हस्ता/–
वरिष्ठ महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

"हमारी ऐप प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नं. 1800-200-3004 पर मिस्ड कॉल दें"

PG/CC/Notice-65/Advt.-75/2019-20/naa

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 34, कम्यूनिटी सेंटर, वसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
CIN: L35911DL1984PLC017354,
फोन: 011-46044100, फैक्स:011-26143321,
ईमेल: secretarialho@heromotocorp.com, वेबसाइट: www.heromotocorp.com

डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सार्वजनिक सूचना

आम जनता के सदस्यों और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ('कंपनी') के मौजूदा शेयर धारकों को सूचित किया जाता है कि मूल शेयर प्रमाण पत्र (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) चोरी हो गए हैं / नहीं मिले हैं / गुम हो गए हैं, ऐसी सूचना अनुसारी चिंतित शेयरधारकों दावेदारों से प्राप्त हुई हैं। कंपनी उनके पक्ष में मूल शेयर प्रमाण पत्र के एवज में डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का इरादा रखती है:

क्र. सं.	फोलियो नं.	शेयरधारकों का नाम	डिसटिन्कटिव नं. से	डिसटिन्कटिव नं. तक	प्रमाणपत्र संख्या	शेयरों की संख्या
		शेयरों के अंकित मूल्य रू 10/- प्रत्येक				
1	HML0108763	मनमोहन कृष्ण	3867716	3867765	77364	50
2	HML0034622	श्रीनिवासन वरदा राजन स्वामिनाथन बालासुब्रमण्यम मधु सोदुन राव पोटलुरी	12256616	12256635	128315	20
3	HML0094296	सुरेश यशवंत बारोडकर नीलेश सुरेश बारोडकर शुभा सुरेश बारोडकर	3011666 14913353 18562685 18562695 18562700	3011715 14913372 18562694 18562699 18562701	60243 157464 252948 252949 252950	50 20 10 05 02
4	HML0085855	यीमला एम	12622437	12622451	146683	15
5	HML0098344	एम यीमला	2080066 15007963 15448363 18588010 18588015 19765422 19765432 32487042 34246155 34246205	2080115 15007977 15448372 18588014 18588015 19765431 19765431 32487072 34246204 34246216	41611 160461 186623 256012 256013 304005 304006 357476 393809 393810	50 15 10 05 01 10 02 31 50 12
6	HML0128172#	रामअवतार रामकुमार अग्रवाल हंसादेवी रामअवतार अग्रवाल	3696866	3696915	73947	50

किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से आपत्ति है तो इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर लिखित में कंपनी 'सचिवीय डिपार्टमेंट' को प्रस्तुत करते हुए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजें। इस बीच, जनता के सदस्यों को ऊपर उल्लेख शेयर प्रमाण पत्रों में निवेश करने के खिलाफ आगाह किया जाता है।

अदालत के आदेशानुसार, कंपनी को शेयरों को जे एम पी सिक्योरिटीज प्रा. लि. के पक्ष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, अंकित मूल्य रू. 2/– के संगत शेयर प्रत्येक के बजाए अंकित मूल्य रू. 10/– के शेयर जो कि तालिका में उल्लिखित है।

कृते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड
हस्ता./-
नीरजा शर्मा
कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22.10.2019

पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : गल्र्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, बाराखम्भा लेन, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23411411, फैक्स : 011- 23472550,
सीआईएन : L74899DL1998PLC093073
ई-मेल : investors@petronetlng.com, कम्पनी की वेबसाइट : www.petronetlng.com

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ (i) 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही/छमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने तथा अनुमोदित करने और (ii) वित्त वर्ष 2019-20 हेतु कम्पनी के इक्विटी शेयरों पर विशेष अन्तरिम लाभांश की घोषणा पर विचार करने हेतु कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक मंगलवार, 29 अक्टूबर, 2019 को कम्पनी के पंजीकृत पते गल्र्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, बाराखम्भा लेन, नई दिल्ली-110001 पर आयोजित की जानी निर्धारित हुई है।

सेबी (आन्तरिक व्यापार निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार पीएलएल (पीएलएल संहिता) की प्रतिभूतियों में आन्तरिक व्यापार की रोकथाम हेतु आचार संहिता तथा स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा 2 अप्रैल, 2019 को निर्गत परिपत्र के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को 28 जून, 2019 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि पीएलएल की संहिता के अनुसार समस्त 'आन्तरिक' हेतु पीएलएल की प्रतिभूतियों में लेन-देन हेतु व्यापार खिड़की मंगलवार, 1 अक्टूबर, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही/छमाही हेतु वित्तीय परिणामों की घोषणा होने और एक्सचेंजों के पास दर्ज कराने तथा सामान्य रूप से उपलब्ध कराने के 48 घण्टे पश्चात तक बन्द रहेगी।

उपर्युक्त की दृष्टि से, पीएलएल की प्रतिभूतियों में व्यापार हेतु व्यापार खिड़की मंगलवार, 1 अक्टूबर, 2019 से बृहस्पतिवार, 31 अक्टूबर, 2019 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी। व्यापार खिड़की शुक्रवार, 1 नवम्बर, 2019 को पुनः खोली जायेगी। तदनुसार सभी सम्बद्धों (जिन लोगों के लिए कथित संहिता प्रयोज्य है) से व्यापार खिड़की बन्द रहने की अवधि के दौरान पीएलएल की प्रतिभूतियों में व्यापार न करने का निवेदन किया जाता है।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.petronetlng.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं अर्थात www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड
ह./-
(राजन कपूर)
सीजीएम एवं वाईसप्रेसीडेन्ट-कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 अक्टूबर, 2019

टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड

सी.आई.एन.: L92200DL1999PLC103001, वेबसाइट: www.aajtak.intoday.in
पंजीकृत कार्यालय: F-26, फस्ट फ्लोर, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001
फोन: 0120–4807100, फैक्स: 0120–4807172
ईमेल: investors@aajtak.com

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल ने 22 अक्टूबर 2019 को आयोजित अपनी बैठक में 5/- रूपए अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर 20/- रूपए अंतिरम लाभांश (वित्तीय वर्ष 2019–20) देने की घोषणा की है।

सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार निदेशक मंडल ने अंतरिम लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्र शेयरधारको को निर्धारित करने के लिए रिकार्ड तिथि के रूप मे शनिवार, 2 नवंबर 2019 को निर्धारित किया है।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 अक्टूबर, 2019

कृते टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड
आशीष सभरवाल
ग्रुप हेड सेक्रेटेरयल एवं कंपनी सचिव

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

शाखा कार्यालय : सीएससी, III बी-प्रथम डीडीए मार्केट, निकट रेयान स्कूल मयूर विहार, फेज-III, दिल्ली 110096

परिशिष्ट IV, नियम 8(1) कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की वित्तीय अस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पंजाब नैशनल बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते सूचना में उल्लिखित राशि रु. 46,96,336.79 (रुपये छियालीस लाख छियानवे हजार तीन सौ छत्तीस एवं उन्यासी पैसे मात्र) तथा इस पर 30.06.2019 से भुगतान की तिथि तक ब्याज, लागतों एवं अन्य व्ययों का पुनर्भुगतान कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहते हुए कर्जदार श्रीमती पूनम त्यागी (सम्पत्ति की स्वामिनी), श्री अनिल त्यागी सह-कर्जदार एवं श्री संजय त्यागी जमानती के पास 20.07.2019 को एक माँग सूचनी निर्गत की थी।

कर्जदार/रों के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित तिथियों पर नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर कब्जा कर लिया है।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के विषय में कर्जदारों/जमानतियों/गिरवीकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार/रों तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार रु. 46,96,336.79 (रुपये छियालीस लाख छियानवे हजार तीन सौ छत्तीस एवं उन्यासी पैसे मात्र) (कर्जदार द्वारा जमा राशि को घटाकर) तथा इस पर भावी ब्याज के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार का विषय होगा।

क्रम सं.	शाखा का नाम	खाते का नाम	कर्जदार का नाम (सम्पत्ति के स्वामी)	गिरवीकृत सम्पत्ति का विवरण	माँग सूचना की तिथि / निर्धारित कब्जा सूचना की तिथि	माँग सूचना की तिथि तक बकाया राशि
1.	मयूर विहार- III, दिल्ली-110096	श्रीमती पूनम त्यागी	श्रीमती पूनम त्यागी	प्लॉट सं. जीएच-05, सैक्टर-11, धुंधाहेड़ा, गाजियाबाद-201009 उ.प्र. पर स्थित फ्लैट सं. 56, भूतल, बेटिना टॉवर, टाइप एचआईजी 1, महागुन मैरकट	20.07.2019 / 18.10.2019	रु. 46,96,336.79 (रुपये छियालीस लाख छियानवे हजार तीन सौ छत्तीस एवं उन्यासी पैसे मात्र) और 30.06.2019 से प्रभावी ब्याज

दिनांक : 18.10.2019 स्थान : दिल्ली, ह./- अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

NEWGEN

OUR SOFTWARE PRODUCTS
DRIVE DIGITAL TRANSFORMATION

Key Highlights – H1 FY'20

- Revenue up 11% YoY
- 38 New Logos added
- APAC market growth of 40%
- SaaS Revenues up 57% YoY

30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिये अंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश

क्रम सं.	विवरण	समेकित (राशि रू लाख में)			
		समाप्त तिमाही		समाप्त छमाही	
		30 सितंबर 2019 (अनंकेक्षित)	30 सितंबर 2018 (अनंकेक्षित)	30 सितंबर 2019 (अनंकेक्षित)	30 सितंबर 2018 (अनंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	15,399.74	14,966.01	28,496.35	25,613.43
2.	अवधि के लिये निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट और/अथवा असाधारण मदें)	565.67	2,326.91	969.59	2,820.31
3.	अवधि के लिये कर पूर्व निवल लाभ /(हानि) (विशिष्ट और/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	565.67	2,326.91	969.59	2,820.31
4.	अवधि के लिये कर पश्चात निवल लाभ /(हानि) (विशिष्ट और/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	422.09	1,777.06	730.58	2,163.79
5.	अवधि के लिये कुल समग्र आय [अवधि के लिये लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) सम्मिलित]	436.84	2,057.55	733.72	2,460.92
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक 10 रू का अंकित मूल्य)	6,898.61	6,806.17	6,898.61	6,806.17
7.	आरक्षितें (पूनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया है.	42,824.90	33,733.85	42,824.90	33,733.85
8.	प्रति शेयर आय (प्रत्येक रू 10/– की) (जारी और बंद प्रचालनों के लिये) –				
	1. बेसिक ईपीएस:	0.62	2.62	1.07	3.19
	2. डाइल्यूटिड ईपीएस:	0.61	2.56	1.05	3.12

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति ने 22 अक्टूबर, 2019 को आयोजित बैठक में समीक्षा कर ली है और निदेशक मंडल ने 22 अक्टूबर, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है।
2. लेखा परीक्षकों ने 30 सितंबर 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिये कंपनी के एकल और समेकित परिणामों की सीमित समीक्षा कर ली है। इन वित्तीय परिणामों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई गुणावगुण नहीं है।
3. महत्वपूर्ण एकल वित्तीय सूचना (राशि रू लाख में)

विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त छमाही	
	30 सितंबर 2019 (अनंकेक्षित)	30 सितंबर 2018 (अनंकेक्षित)	30 सितंबर 2019 (अनंकेक्षित)	30 सितंबर 2018 (अनंकेक्षित)
प्रचालनों से राजस्व	13,112.95	13,521.67	24,469.74	22,633.54
कर पूर्व लाभ	420.33	2,355.19	641.56	2,646.14
कर पश्चात लाभ	325.33	1,837.05	496.57	2,063.99

4. कंपनी ने, 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी इंड एएस 116 को अपनाया है और मानदंड के आरंभिक आवेदन के संचयी प्रभाव के साथ, पूर्व तिथि से अपनी लीजों में मानदंड लागू किया है, जिसे आरंभिक आवेदन की तिथि (1 अप्रैल, 2019) को मान्यता प्रदान की गई है। तदनुसार, कंपनी ने तुलनात्मक सूचना का पुनः उल्लेख नहीं किया है, इसकी बजाए, इस मानदंड को आरंभिक आवेदन के संचयी प्रभाव में 1 अप्रैल 2019 को बरकरार आय के ओपनिंग बेलेंस में समायोजन के तौर पर मान्यता प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 2019 को रू 247.14 लाख के करों की बरकरार निवल आय के समायोजन से (रू 67.93 लाख के आस्थगित कर सृजन के प्रभाव सहित) रू 1769.79 लाख की परिसंपत्ति के राइट ऑफ यूज तथा रू 2010.89 लाख की तत्स्थानी लीज देनदारी की पहचान की गई है। चालू अवधि के लिये लाभ और हानि खाते में, ऑपरेटिंग लीजों के संबंध में खर्चों की प्रकृति पूर्व की अवधियों में लीज किराये से राइट टू यूज परिसंपत्ति के लिये अवमूल्यन लागत और लीज देनदारियों पर अर्जित ब्याज के लिये वित्तीय लागत में परिवर्तित की गई है।
5. 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान आईपीओ आय का नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश के निकट कार्यालय परिसरों की सज्जा तथा सामान्य निगमित उद्देश्य के लिये क्रमशः रू 1748.69 लाख तथा रू 462.31 लाख की राशि के रूप में उपयोग किया गया है। 30 सितंबर, 2019 को शेष आय को, बैंकों में जमा सहित नकदी और नकदी समकक्षों में अस्थाई निवेश/जमा किया गया है।
6. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन, दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के पास दायर 30 सितंबर 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के विस्तृत प्रारूप का सार है। 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिये वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रपत्र बीएसई और एनएसई की स्टॉक एक्सचेंजों पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है तथा यह हमारी वेबसाइट: https://newgensoft.com के निवेशक संबंध खण्ड के अधीन भी उपलब्ध है।

न्यूजेन साफ्टवेयर टेक्नोलॉजिज़ लिमिटेड
सीआईएन: L72200DL1992PLC049074
पंजीकृत कार्यालय: ए–6, सत्संग विहार मार्ग, कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया, नई दिल्ली–110067
टेली: (+91)-11-40770100, 26964733, 26963571, फैक्स:. (+91)-11- 26856936
ई–मेल/यूआरएल: investors@newgensoft.com https://newgensoft.com
स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 22.10.2019

मंडल के लिये और उसकी ओर से
हस्ता/–
दिवाकर निगम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00263222

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

ध्यान दें!

आपका सहयोग

पटाखों की बिक्री तथा उपयोग के लिए
माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश

- परिसरों में पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित सेफ वाटर एंड एयर स्प्रिंकलर्स (एसडब्ल्यूएएस) के अनुसार कम प्रदूषण वाले पटाखों (उन्नत पटाखे) और कम धुआँ छोड़ने वाले हरित पटाखों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार के पटाखे नहीं बेचे जायेंगे।
- प्रतिबंधित/अस्वीकृत पटाखों की श्रेणियां
  - जुड़े हुए पटाखे (सीरीज पटाखे या लड़ियां)
  - बेरियम साल्ट्स/लिथियम/आर्सेनिक/एंटीमॉनी/सीसा/पारा से युक्त पटाखे
  - माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसार प्रतिबंधित पूर्व में निर्मित पटाखे
- केवल वैसे पटाखों को बेचने की अनुमति है जिसकी डेसीबल (ध्वनि) स्वीकृत सीमा (फटने के स्थान से 4 मीटर पर 125 डेसीबल (एआई) या 145 डेसीबल (सी) पीके) के अंदर हो।
- साइलेंस जोन में पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं: अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों से न्यूनतम 100 मीटर का दायरा साइलेंस जोन में शामिल है या कोई अन्य क्षेत्र जिसे सक्षम प्राधिकरण ने साइलेंस जोन घोषित किया है।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पटाखे चलाने का समय:

रात 08:00 बजे से 10:00 बजे तक	दिवाली के दिन
प्रात: 04:00 बजे से 05:00 बजे तक	गुरपुरब के दिन
रात 09:00 बजे से 10:00 बजे तक	
रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक	क्रिसमस एवं नव वर्ष की पूर्व संध्या

- सामूहिक रूप से पटाखे यथासम्भव पूर्व–चिन्हित क्षेत्रों/स्थानों पर चलाये जा सकते हैं।

सभी संबंधित व्यक्ति इसका ध्यान रखें और पालन करें

दिल्ली पुलिस की ओर से
आप सभी को दिवाली की शुभकामनायें

DP/9166/19